छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–211/सात–1/2016 नया रायपुर, दिनांक 29 NOV 2016 /11/2016

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण–उपयोग की गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7–7/सात–1/2014, दिनांक 20.02. 2015 ।
2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2016।

–00–

विधानसभा सत्र नवम्बर 2016 में एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में प्रदेश के एक जिले से विद्युत टॉवर लाईन निर्माण के लिए उपयोग की गई भूमि के क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में प्राप्त उत्तर के अवलोकन से यह पाया गया, कि (1) क्षतिपूर्ति का निर्धारण निर्माण एजेंसी कर रही है। (2) क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्माण एजेंसी कर रही है। (3) क्षतिपूर्ति 03 किस्तों में दी जा रही है। (4) स्थानीय तथा जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्माण एजेंसी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति भुगतान की कोई जानकारी नहीं है। (5) निर्माण एजेंसी द्वारा वृक्ष कटाई की अनुमति नहीं ली गई है। (6) जिले के अधिकारियों द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। (7) जिले के अनुभाग तथा तहसील स्तर के अधिकारियों को यह मालूम नहीं है, कि इस बाबत् शासन के क्या–क्या निर्देश हैं। उक्त टॉवर लाईन प्रदेश के 6–7 जिलों में बन रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है, कि लगभग सभी जिलों में इस निर्माण एजेंसी की यही स्थिति होगी। अगर यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी है, तो यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। इस स्थिति में राज्य स्तर से निश्चित तौर पर यह कहना संभव नहीं है, कि विद्युत टॉवर निर्माण के मामलों में प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार हो रहा है। इसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

2/ विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए कृषक/भूमिस्वामी को क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में संदर्भित दोनों पत्रों के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त दोनों निर्देशों की छायाप्रति पुनः नीचे संलग्न है। उक्त निर्देश स्वयं स्पष्ट है।

3/ उक्त निर्देशों के पालन में टॉवर लाईन निर्माण के समय जिला कलेक्टरों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए :-

अ. निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान :-

(1) 66 के.व्ही. से अधिक क्षमता के सभी विद्युत पारेषण लाईन के मामलों में क्षतिपूर्ति भुगतान की पात्रता बनेगी। अतः ऐसे सभी मामलों में ऊर्जा विभाग तथा निर्माण कार्य एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक लेकर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण की जानकारी लें तथा कार्य एजेंसी को प्रदेश में क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा दरों की जानकारी दें। अधीनस्थ अधिकारियों को भी विभागीय परिपत्र की जानकारी दें।

(2) क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा भुगतान की कार्यवाही भू-अर्जन अधिकारी तथा अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की जावे। भुगतान एक किश्त में बैंक खाता/चेक के माध्यम से की जावे।

(3) परिपत्र दिनांक 01.06.2016 में विभाग द्वारा निम्नानुसार दर निर्धारित है :-

1. टॉवर के नीचे आने वाले क्षेत्र के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति।
2. दो टॉवरों के बीच विद्युत लाईन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच आने वाली भूमि के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति।
3. काटे जाने वाले वृक्ष का मूल्य।
4. भूमि प्रवेश से हुई फसल हानि के लिए क्षतिपूर्ति।

ब. शासकीय भूमि के लिए उपयोग का अधिकार :-

संदर्भित पत्रों में निजी भूमि पर टॉवर लाईन बनाने के लिए उपयोग के अधिकार के बदले क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, लेकिन शासकीय भूमि पर बनाये जाने वाले टॉवर लाईन के लिए कोई निर्देश नहीं है। अतः एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है,

कि जो टॉवर शासकीय भूमि पर निर्मित होगा, उसके लिए भी ऊपर निर्धारित दरों पर राशि की गणना की जावे, तथा प्राप्त राशि को शासकीय खजाने में जमा की जावे।

स. वृक्ष कटाई :–

टॉवर लाईन के नीचे आने वाली वृक्षों को काटने की आवश्यकता हो, तो छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत निर्माण एजेंसी द्वारा नियमानुसार कलेक्टर से पूर्व अनुमति ली जावे। भूमिस्वामी से सहमति भी ली जावे। निजी भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा संबंधित कृषक को भुगतान की जावे तथा शासकीय भूमि पर स्थित वृक्षों की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई जावे।

5/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। संलग्न परिपत्र की प्रति सभी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को भेजी जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(के0आर0 पिस्दा) 26/11/2016
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–211/सात–1/2016 नया रायपुर, दिनांक /11/2016
29 NOV 2016

प्रतिलिपि–

विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ। कृपया माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।

सचिव 26/11/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 20 FEB 2015 ~~फरवरी, 2015~~

क्रमांकः एफ 7–7/सात–1/2014 – प्रदेश में राज्य गठन के बाद विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए शासन के द्वारा कई तरह की सुविधाऐं प्रदान की गई है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेट सेक्टर, सेन्ट्रल सेक्टर तथा नीजि सेक्टर में काफी संख्या में विद्युत संयत्रों की स्थापना हो रही है । इन विद्युत संयत्रों से उत्पादित विद्युत का उपयोग राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर किया जावेगा, जिसके लिए विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करने तथा विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी । विद्युत संयत्रों में उत्पादित विद्युत को पावर ग्रिड तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं की विद्युत पारेषण लाईन स्थापित की जावेगी ।

2/ विद्युत उप केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करने हेतु भूमि अर्जन करने एवं मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन विद्युत पारेषण के लिए स्थापित किये जाने वाले टॉवर तथा टॉवर लाईन बिछाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के भू–अर्जन तथा मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है । वर्तमान में टॉवर तथा लाईन की स्थापना इलेक्ट्रीसिटी एक्ट– 2003 तथा इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट–1885 के प्रावधानों के तहत की जाती है। इलेक्ट्रीसिटी एक्ट– 2003 की धारा–164 में यह प्रावधान है, कि राज्य शासन लिखित आदेश के द्वारा विद्युत लाईन स्थापना करने या विद्युत पारेषण लाईन बिछाने के उद्देश्य से किसी अधिकारी को उन अधिकारों से सशक्त कर सकती है, जो इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट– 1885 के तहत टेलीग्राफ लाईन बिछाने के लिए टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त है। इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा–10 में यह प्रावधान है, कि टेलीग्राफ अथॉरिटी को यह अधिकार होगा, कि वह किसी भी अचल सम्पत्ति पर टेलीग्राफ लाईन बिछा सकता है। इसके लिए शासन के द्वारा ऐसे अचल सम्पत्ति पर केवल उपयोग का अधिकार प्राप्त किया जावेगा । ऐसे अधिकार के उपयोग के दौरान यदि सम्पत्ति को कोई क्षति होती है, तो उसका पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति को किया जावेगा । अधिनियम की धारा 16 में टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त अधिकार को किसी व्यक्ति के द्वारा रोका जाता है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत अपराध माना गया है ।

3/ इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट– 1885 काफी पुराना अधिनियम है। उक्त अधिनियम जब प्रभावशील किया गया, तब छोटी–छोटी टेलीफोन की लाईने नीजि भूमि के उपर बिछाई जाती थी, जिससे भूमिस्वामी को कोई असुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब विद्युत पारेषण हेतु बड़ी क्षमता की बड़ी–बड़ी विद्युत टॉवर स्थापित किये जाते है तथा टॉवर लाईनें बिछाई जाती है, जिसके नीचे की भूमि पूरी तरह अनुपयोगी हो जाती है, जिससे भूमिस्वामी को काफी नुकसान होता है तथा बिना किसी मुआवजा दिये विद्युत टॉवर बनाने तथा लाईन बिछाने में जन विरोध की स्थिति निर्मित होती है । इस तरह की स्थितियां राज्य के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित होने की संभावना बन गई है ।

-30

4/ उपरोक्त स्थिति पर शासन के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । तद्नुसार जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 132 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

1. भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी ।.
2. विद्युत लाईन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच आच्छादित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाये ।
3. उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि मात्र क्षतिपूर्ति होगी । भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी ।
4. किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये क्षतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की क्षति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी ।
5. यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेषण लाईन के लिये देय होगी । इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है ।

5/ क्षेत्रफल की गणना ऊर्जा एवं राजस्व अमले द्वारा प्रभावित कृषक/व्यक्ति की उपस्थिति में की जावेगी ।

6/ क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण तथा भुगतान संबंधित को भू–अर्जन अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

7/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर. पिस्दा) 19/2/2015
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–7/सात–1/2014 नया रायपुर, दिनांक 20 FEB 2015 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को, उनकी टीप क्रमांक 1699 दिनांक 03 मई 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ ।
4. आयुक्त/संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

//संशोधित आदेश//

नया रायपुर दिनांक 01 /06 /2016

क्र0/एफ–7–7/सात–1/2014:– विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.2.2015 के द्वारा राज्य में 132 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु लगाये जाने वाले टावर लाईनों से प्रभावित भूमि तथा विद्युत लाइनों के नीचे स्थित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान करने का प्रावधान किया गया है तथा क्षतिपूर्ति की दर निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय के पत्र कमांक 3/7/2015–ट्रांस, दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु "राईट–आफ–वे" के अंतर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय मुआवजा के आंकलन करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसमें उनके द्वारा 132 के.व्ही. के स्थान पर 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के दर निर्धारित की गई है, जो कि राज्य में निर्धारित दर से अधिक है।

3. अतः राज्य शासन के क्षतिपूर्ति दरों को भारत शासन के दरों के अनुरूप करने के प्रयोजन से राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 20.2.2015 के कण्डिका–4 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन कण्डिका–4 प्रतिस्थापित करती है :–

4. उपरोक्त स्थिति पर शासन के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । तद्नुसार जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

1. भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी ।
2. विद्युत लाईन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जायेगी । इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई निम्नानुसार मानी जावेगी :–

स0क्र0	पारेषण क्षमता	दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई (मीटर में)
1	66 के.व्ही.	18 मीटर
2	110 के.व्ही.	22 मीटर

3	132 के.व्ही.	27 मीटर
4	220 के.व्ही.	35 मीटर
5	400 के.व्ही.	46 मीटर
6	500 के.व्ही.	52 मीटर
7	765 के.व्ही.	64 मीटर
8	800 के.व्ही.	67 मीटर
9	1200 के.व्ही.	89 मीटर

3. उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि मात्र क्षतिपूर्ति होगी । भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी ।
4. किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये क्षतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की क्षति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी ।
5. यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेषण लाईन के लिये देय होगी । इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिस्त्री) 1/6/2016
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक 01/06/2016

पृ0क्रमांक एफ–7–7/सात–1/2014
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मांन0मंत्री जी छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय ।
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 352/एफ 21/11/2015/13/2 दिनांक 9.2.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संभाग, छ0ग0
4. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ0ग0 रायपुर ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1/6/2016
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

D:yaday/Leter doc